

25.09.2024

पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।
वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई
गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व
वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण
वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

